



2026:AHC:67319

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7120 वर्ष 2026**

**असलम ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: अवैश खान, सदरुल इस्लाम जाफरी**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 70**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री हरवीर सिंह**

1. अभियुक्त-आवेदक के अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह ज़मानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक/असलम की ओर से उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत देने के लिए दायर की गई है।
3. अभियुक्त-आवेदक के अधिवक्ता, ज़मानत आवेदन पर जोर देते हुए, प्रस्तुत करते हैं कि, अभियुक्त-आवेदक को प्रस्तुत मामले के साथ-साथ गिराह चार्ट में उल्लिखित एकल मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है, और उसने कोई अपराध नहीं किया है, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, गिराह चार्ट में उल्लिखित एकल मामले में, आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसकी एक प्रति इस ज़मानत आवेदन के अनुलग्नक संख्या-4 के रूप में रखी गई है और गिराह चार्ट में उल्लिखित एकल मामले के अलावा, आवेदक की मिलीभगत को अन्य तीन आपराधिक मामलों के संबंध में भी दिखाया गया है, हालांकि, उन तीन मामलों में भी, आवेदक के अधिवक्ता का दावा है कि,

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



उसे विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत दी गई है। उपर्युक्त मामलों के अलावा, आवेदक किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक इस मामले में 2.2.2026 से जेल में है और केवल एकल आपराधिक मामले के आधार पर, आवेदक के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है और सामग्री, जिसे इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आधार बनाया गया है, यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आवेदक या तो गिरावट चार्ट में उल्लिखित अपराधों का दोषी है, या फिर से वही अपराध कर सकता है, यदि उसे ज़मानत की सुविधा दी जाती है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि, सह-आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् मोहम्मद जुबेर और कलाम को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः 16.2.2026 और 9.3.2026 के आदेशों द्वारा ज़मानत दी गई है, जो क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-4621 वर्ष 2026 और 6503 वर्ष 2026 में पारित है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की ज़मानत की प्रार्थना का विरोध करता है, लेकिन आरोपी-आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई तथ्यात्मक प्रस्तुतियों का सामना नहीं कर सका।

5. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों को आवेदक के खिलाफ गैंग चार्ट में उल्लिखित एकल मामले के आधार पर लागू किया गया है, हालांकि, गैंग चार्ट में उल्लिखित मामले में, उसे विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। उपर्युक्त मामले के अलावा, आवेदक की मिलीभगत को अन्य तीन आपराधिक मामलों में दिखाया गया है, जिसमें भी, उसे विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत दी गई है और उपर्युक्त मामलों के अलावा, आवेदक किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं है। इस मामले के सह-आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् मोहम्मद जुबेर और कलाम को पहले ही ज़मानत दी जा चुकी है। आवेदक इस मामले में 2.2.2026 से जेल में है। ऐसा कुछ भी अभिलेखों पर नहीं लाया गया है, जिससे यह पता चले कि गिरावट चार्ट में उल्लिखित अपराधों से संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा दी गई ज़मानत की सुविधा को किसी उच्च मंच पर चुनौती दी गई है या किसी उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। पर्याप्त शर्तें/प्रतिबंध



लगाकर विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है।  
है। इस प्रकार, मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और  
आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे केवल  
आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के उद्देश्य से ही तथ्य मिलता है। इस प्रकार,  
ज़मानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

6. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक/असलम को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित  
न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो ज़मानतदारों के साथ व्यक्तिगत बांड  
प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए: -

- (i) आवेदक जांच या मुकदमे के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर  
अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना मुकदमे में ईमानदारी से  
सहयोग करेगा।
- (iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या  
किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का  
आधार होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, यदि आवेदक के अधिवक्ता का दावा, जो  
गैंग-चार्ट में मामले को छोड़कर अन्य तीन आपराधिक मामलों में शामिल है, को तीनों  
मामलों में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, जो गलत/गलत पाया गया है, तो प्रस्तुत  
मामले में उसे दी गई ज़मानत की सुविधा स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास  
प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त में की गई टिप्पणियां केवल इस ज़मानत आवेदन के  
निपटान के उद्देश्य से हैं और मामले के गुण-दोष के आधार पर इस न्यायालय की  
अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानी जाएंगी।

मार्च 31, 2026



गुरप्रीत सिंह

(न्यायमूर्ति हरवीर सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।